

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2564 वर्ष 2026**

कलीम खान और अन्य

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और अन्य के माध्यम से

....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : पवन कुमार शर्माप्रतिवादी (ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 16**माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

1. अधिवक्ता श्री लालू प्रसाद भट्ट ने प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति दर्ज कराई है और इसे अभिलेख में ले लिया गया है।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, श्री लालू प्रसाद भट्ट, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

24.02.2023 को दिनांकित दिनांक A040/2023 के आरोप पत्र के अनुसरण में शुरू की गई संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यह आरोप पत्र केस संख्या 222/2022 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 504 और 506 के तहत धाराएं दर्ज की गई हैं। यह कार्यवाही पुलिस स्टेशन सिरसिया, जिला श्रावस्ती में हुई थी। साथ ही, श्रावस्ती के माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत द्वारा दिनांक 27.03.2023 को पारित समन आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो संबंधित अदालत में लंबित है।

4. आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतफहमी के चलते आवेदकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया। समझौते का दस्तावेज 17.03.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के बीच कोई शिकायत नहीं है और आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही निरर्थक है क्योंकि इसमें मुकदमे का कोई भविष्य नहीं है और यह आवेदकों को परेशान करने के समान है, इसलिए आवेदकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षों ने एक समझौता पत्र के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझा लिया है और वर्तमान आवेदकों के विरुद्ध विपक्षी पक्षों की कोई और शिकायत नहीं है तथा आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

6. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपरोक्त दलीलों पर कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. अब, क्या पक्षों ने वास्तव में मामले पर समझौता किया है या नहीं, इसका सबसे अच्छा पता निचली अदालत द्वारा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते को संबंधित पक्षों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का **निपटारा** संबंधित न्यायालय को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि यदि उसके समक्ष ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को सूचना जारी करके उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग करे और उसके बाद समझौते का सत्यापन करे। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस संबंध में एक आख्या तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा।

9. उस स्थिति में न्यायालय पक्षों को रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के साथ-साथ समझौता करने की अनुमति देगा और आवेदकों के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए इस न्यायालय में दोबारा आने का विकल्प खुला रहेगा।

10. वाद संख्या 2987/2023 (राज्य बनाम कलीम खान और अन्य) के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 504 और 506 के तहत दिनांक 24.02.2023 को जारी आरोप पत्र संख्या A040/2023 के अनुसरण में शुरू की गई कार्यवाही, तथा दिनांक 27.03.2023 के समन आदेश, आवेदकों के संबंध में तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, समझौते में शामिल पक्ष और इस संबंध में, वह सत्यापन आदेश के साथ एक आख्या भी भेजेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह मूल समझौता पत्र ,यदि कोई हो, की छायाप्रति लेने के बाद उसे आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता को लौटा दे।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

26 मार्च, 2026

राज

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।